

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(44)एमई / ग्रुप-1 / 1998

जयपुर, दिनांक

आदेश

25 JUN 2018

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थी को सहायक आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर पे-मेट्रिक्स में लेवल 16 (67300-195000) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उसके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से ही नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत है। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते देय होंगे :-

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० लाल चन्द वर्मा पुत्र श्री गोपाल राम बलाई, गाँव- भादवाड़ी, तहसील- खण्डेला, जिला-सीकर(राज) 332708	एम-03	20.06.1983	अजा.	मेडिकल कॉलेज, कोटा

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर SBCWP No. 3360/2017 डॉ० नवीन कुमार सिमतवाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.01.2018 की अनुपालना में प्रदान की जाती है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आदेश से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(13)भर्ती/गोपनीय/2014-15/529 दिनांक 06.03.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
7. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
9. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव